उत्कृष्ट विद्यालय योजना के कियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 राज्य सरकार की आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक (सामान्तया कक्षा 1 से 12/10 के विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य की 9895 ग्राम पंचायतों में एक–एक विद्यालय को तीन चरणों वर्ष 2017–18 तक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। यह आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Center) के रूप में कार्य करेंगे।

1.2 प्रत्येक ग्राम पंचायत के आदर्श विद्यालय के मार्ग दर्शन (Mentorship) में एक प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 1 से 8 का विद्यालय) को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना हैं। यह विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए Center of Excellence के रूप में विकसित होंगे।

1.3 आदर्श विद्यालयों की जिलेवार/पंचायत समितिवार सूची व विस्तृत विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उत्कृष्ट विद्यालय योजना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

2. चयन प्रक्रिया

2.1 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के समन्वयन में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन उत्कृष्ट बनाने हेतु करेगें। उत्कृष्ट विद्यालयेां के चयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17 (20) प्रा.शि./आयो/ उत्कृष्ट वि./2015/दिनांक 18.02.2016 द्वारा जारी किये जा चुके हैं जो **परिशिष्ट–1** पर सलंग्न हैं। इन चयनित विद्यालयों को दो चरणों में 31 मार्च 2018 तक पंचायत के आदर्श विद्यालय के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। प्रथम चरण (31 मार्च 2017 तक) एवं द्वितीय चरण (31 मार्च 2018 तक) विकसित किये जाने वाले उत्कृष्ट विद्यालयों की जिलेवार संख्या **परिशिष्ट–2** पर संलग्न हैं। उत्कृष्ट विद्यालयों की जिलेवार/पंचायत समितिवार सूची व विस्तृत विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उत्कृष्ट विद्यालय योजना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

2.2 दोनों चरणों में विकसित किये जाने हेतु चिन्हित समस्त विद्यालयों के विकास का कार्य योजना के प्रथम वर्ष (2016–17) से ही प्रारम्भ किया जाकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जावेगा।

3. उत्कृष्ट विद्यालय को विकसित करने हेतु कार्ययोजना

3.1 भौतिक अवसंरचना (Physical Infra-structure)

3.1.1 विद्यालय भवन

उत्कृष्ट विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डानुसार पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता (कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, पेयजल सुविधा, बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय, विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, चार दीवारी, रसोई घर, खेल मैदान, कम्प्यूटर लैब आदि) चरणबद्ध रूप से उपलब्ध/विकसित की जावे। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः–

(i) भवन की पर्याप्तता एवं उन्नयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का उपयोग किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना बनाते समय यू डाइस डेटा का

सत्यापन कर भौतिक अवसंरचना की कमी (Infrastructural Gap) की पूर्ति करने हेतु कार्य योजना बनाई जायेगी।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान योजना में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अतिरिक्त विद्यालय भवनों का विकास राज्य सरकार की अन्य योजना यथा मनरेगा, विधायक/सांसद कोष तथा भामाशाहों, दान दाताओं एवं सीएसआर के माध्यम से किया जावें।

(iii) इस कार्य में विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति के माध्यम से विद्यालय विकास कोष एवं भामाशाहों द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग किया जा सकता हैं।

(iv) चयनित उत्कृष्ट विद्यालयों में खेलमैदान का विकास एवं वृक्षारोपण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जावेगा। इस संबंध में ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की प्रति **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है। जिन विद्यालयों में खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है उनके खेल मैदान हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करवायी जाकर खेल मैदान/सुविधाएं विकसित की जाये।

(v) उत्कृष्ट विद्यालयों में मिड–डे–मील हेतु रसोईघर का निर्माण मिड–डे–मील योजना द्वारा प्रदान की गयी राशि को महात्मा गांधी नरेगा से डवटेल (Dovetail) किया जाकर करवाया जावे।

3.1.2 कम्प्यूटर लैब की स्थापना एवं संचालन

3.1.2.1 उत्कृष्ट विद्यालयों में ई–लर्निंग हेतु कम्प्यूटर लैब की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित कल्प कार्यक्रम, भामाशाहों एवं दान–दाताओं के माध्यम से करायी जावे। उत्कृष्ट विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जावें।

3.1.2.2 उत्कृष्ट विद्यालयों में सभी शिक्षकों को राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण के साथ–साथ राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा–RKCL द्वारा संचालित RS-CIT कोर्स एवं उसके समकक्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।

3.1.2.3 शिक्षकों द्वारा विषय शिक्षण में कम्प्यूटर लैब का उपयोग सुनिश्चित किया जावें। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर पर कार्य करने के अभ्यास हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ताकि विद्यार्थियों की कम्प्यूटर साक्षरता का स्तर बढ़ सके।

3.1.2.4 राजस्थान सरकार द्वारा ई–लर्निंग हेतु विकसित स्कूल एज्यूकेशन पोर्टल (राज e-gyan) का छात्र एवं अध्यापकों द्वारा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जावें।

3.1.2.5 सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण में चयनित विद्यालयों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण से जोड़ा जावें।

3.1.2.6 जिन विद्यालयों में कम्पयूटर लैब सुविधा उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों के विद्यार्थियों को पंचायत में स्थिति आदर्श विद्यालय (रामावि/उमावि) से समन्वयन स्थापित कर कम्पयूटर के बारे में बेसिक जानकारी उपलब्ध करायी जावें।

3.1.2.7 विद्यालय विकास कोष, विधायक/सांसद कोष, भामाशाहों, दान–दाताओं एवं अन्य सम्भावित वित्तीय सहयोग से विद्यालय में प्रोजेक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावें।

3.1.3 विद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण

3.1.3.1 उत्कृष्ट विद्यालयों के परिसर की स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जावें। इस हेतु स्थानीय निकायों (पंचायत एवं नगरपालिका) जन प्रतिनिधियों, अभिभावकों, आमजन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावें।

3.1.3.2 उत्कृष्ट विद्यालयों में सहज दृष्टव्य स्थान (आसानी से दिखाई देने वाले स्थान) पर ''राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित'' लिखवाया जाना सुनिशिचित किया जावें।

3.1.3.3 उत्कृष्ट विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा बरामदों की दीवारों को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए लहर कक्ष के पैटर्न पर बाल सुलभ कक्ष (Child Friendly Room) के रूप में तैयार किया जावें। अन्य कक्षाओं की दीवारों पर भी विद्यार्थियों के लिए ज्ञान वर्धक सामग्री को प्रदर्शित किया जावें ताकि कक्षा कक्ष विद्यार्थियों के लिए रूचिकर, ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक बन सकें। (इस हेतु एसआईक्यूई हेतु जारी दिशा निर्देशों अन्तर्गत कक्षा कक्ष निर्माण हेतु निर्देशों का अध्ययन किया जावें।**परिशिष्ट–4**)

3.1.3.4 प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए दानदाताओं/भामाशाहों के माध्यम से खेलकूद सुविधाएं (झूले, फिसलपट्टी इत्यादि) उपलब्ध करवायी जायेगी।

3.1.3.5 उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय परिसर का माहौल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए महापुरूषों द्वारा कहे आदर्श वाक्य/सुक्तियों का लेखन किया जावें।

3.1.3.6 विद्यालयों के सौन्दर्यीकरण, मरम्मत, रंग–रोगन एवं लहर कक्ष के विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेंटेंनेंस ग्रांट राशि एवं स्कूल फेसिलीटी ग्रांट की राशि में से बचत राशि का उपयोग किया जा सकता है। इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश **परिशिष्ट–5** पर संलग्न है।

3.2 उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षक/अन्य कार्मिकों की उपलब्धता

3.2.1 उत्कृष्ट विद्यालयों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार शिक्षकों/अन्य कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक कार्मिकों हेतु जारी मानदंड **परिशिष्ट–6** पर उपलब्ध है।

3.2.2 ग्राम पंचायत में स्थित आदर्श विद्यालयों के विषयाध्यापक उत्कृष्ट विद्यालय के अध्यापकों को शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करेंगे। इस हेतु आदर्श विद्यालय के संस्थाप्रधान समय–समय पर शिक्षकों की कार्यशाला का आयोजन आदर्श विद्यालय में करेंगे।

3.3 उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रभावी संचालन

3.3.1 आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विद्यालयों के प्रभावी संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए है, जो **परिशिष्ट–7** पर उपलब्ध है। इन दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

3.3.2 उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में कम से कम 150, कक्षा 6 से 8 में 105 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे –

i. सत्र के प्रारम्भ में प्रवेशोत्सव कार्ययोजना तैयार की जावें।

ii. विद्यालय में उपलब्ध करवाई जानी वाली सुविधाओं व विशेष योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।

iii. संस्था प्रधान व विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए बालक–बालिकाओं के प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जावें।

iv. आस–पास की ढाणियों के अभिभावकों को उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश एवं जनसहभागिता/अभिभावकगण/शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से परिवहन व्यवस्था करने हेतु प्रेरित किया जावे।

3.3.3 उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के कक्षावार लक्ष्य शिक्षा विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उत्कृष्ट विद्यालय योजना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

3.4 शैक्षिक गुणवत्ता

3.4.1 राज्य के सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से State Initiative for quality Education (SIQE) कार्यक्रम का प्रारम्भ किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत Child Centered Padagogy (CCP), Activity Based Learning (ABL) तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का (CCE) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किय जायेगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् एवं एसआईईआरटी, उदयपुर के माध्यम से किया जायेगा। कार्यक्रम की कार्ययोजना प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियाँ राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई हैं। कार्यक्रम की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा जारी किये गये हैं जो **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध हैं।

3.4.2 प्राथमिक कक्षाओं में एसआईक्यूयूई कार्यक्रम की अवधारणा के अनुसार शिक्षण कार्य,मूल्यांकन एवं अभिलेख संधारण सुनिश्चित किया जायें।

3.4.3 कक्षा 8 के स्तर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा एवं कक्षा 5 के स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय ''प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा'' के परिणाम के आधार पर शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी दिशा–निर्देश **परिशिष्ट–8** के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

3.4.5 जिला स्तरीय अधिगम स्तर मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर चिन्हित न्यून अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की कक्षा 6 में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश एवं कार्ययोजना राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।

3.4.6 उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों की नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, सीमेट एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से संचालित किया जावेगा।

3.5 सहशैक्षिक गतिविधियाँ

3.5.1 उत्कृष्ट विद्यालयों में शिविरा पंचाग एवं समय सारणी के अनुसार शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जावें। इस हेतु पृथक से दिशा निर्देश निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जारी किये जायेगें।

3.5.2 उत्कृष्ट विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियाँ यथा कब एवं बुलबुल, स्काउट एवं गाइड सीएमसी (Child Management Committee) खेल समितियाँ इत्यादि प्रभावी रूप से संचालित की जावें।

3.5.3 उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्य योजना बनाकर पुस्तकालय का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जावें एवं प्रत्येक सप्ताह में एक पिरियड लाईब्रेरी हेतु रखा जावे।

3.5.4 सह शैक्षिक गतिविधियाँ यथा खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्ननोत्तरी, मंच प्रस्तुतीकरण, संगीत, नृत्य एवं लोक कलाओं पर विशेष बल दिया जाये।

3.5.5 विद्यालय में विषयवार शिक्षण एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए कक्षावार, विषयवार कालांश व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा से जारी किये जावे एवं इनकी पालना सुनिश्चित कराई जावे।

3.5.6 शिविरा पंचाग अनुसार पर्व, उत्सव एवं महापुरूषों की जयन्तियाँ अनिवार्य रूप से मनाई जावें।

3.6 उत्कृष्ट विद्यालय योजना के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु व्यवस्था

3.6..1 राज्य स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय योजना की कार्ययोजना बनाने एवं क्रियान्वयन का कार्य राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के माध्यम से किया जावेगा। समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्विति हेतु निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में गठित राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् की शाषी परिषद् इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारण करेगी तथा निष्पादक समिति योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना का निर्माण एवं निष्पादन करेगी।

3.6.2 जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन एवं परामर्श दिशा निर्देश प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश कमांक प. 6(18)प्र.सु. / अनु.3 / 2016 दिनांक 30.03.2016 द्वारा गठित जिला स्कूल सलाहकार समिति **(परिशिष्ट–9)** द्वारा प्रदान किया जावेगा। चूंकि उत्कृष्ट विद्यालयों के विकास में संबंधित पंचायत के आदर्श विद्यालयों का विशेष योगदान होगा, अतः प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशानुसार जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति **(परिशिष्ट–10)** उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होगी। इस समिति में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधिकारी (यथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, प्रधानाचार्य डाइट, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान एवं आवश्यकता होने पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों) को जोड़ा जावेगा। जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक प्रथम नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

3.6.3 वर्तमान में जिला स्तरीय निष्पादक समिति द्वारा आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रतिमाह बैठक आयोजित की जा रही है, इसी बैठक में उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जावेगी। इस बैठक हेतु ऐजेन्डा बिन्दू राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये जाकर प्रेषित किये जावेंगे।

3.6.4 जिला स्तर पर आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर द्वारा नामित अतिरिक्त जिला कलेक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के स्तर के प्रभारी अधिकारी को ही उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिले का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावेगा। यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त दोनो योजनाओं का दायित्व एक ही अधिकारी को दिया जावे।

3.6.5 पंचायत समिति स्तर पर आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर द्वारा नामित उपखण्ड अधिकारी स्तर के प्रभारी अधिकारी को ही उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावेगा। पंचायत समिति स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा वर्तमान में पंचायत समिति क्षेत्र में आदर्श विद्यालयों के संस्था प्रधानों की मासिक बैठक आयोजित की जा रही है। इसी मासिक बैठक में पंचायत समिति के समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को भी आमंत्रित किया जाकर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जावे। इस बेठक में जिला स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारमिभक शिक्षा, प्रधानाचार्य DIET, ADPC SSA/RMSA, AEN SSA/RMSA एवं समस्त APC,SSA, PO,RMSA आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। पंचायत समिति स्तरीय मासिक बैठक के आयोजन की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की होगी तथा प्रत्येक उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान को विद्यालय में योजना के क्रियान्वयन की प्रगति निर्धारित प्रपत्र **(परिशिष्ट–11)** में प्रस्तुत करनी होगी।

3.6.6 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों को 10–10 विद्यालयों का प्रभार दिया जाकर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

3.6.7 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रत्येक अधिकारी को अपने आवंटित विद्यालय का प्रतिमाह अवलोकन करना होगा। अवलोकित विद्यालय का अवलोकन प्रपत्र **(सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित)** सर्व शिक्षा अभियान के पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

3.6.8 ब्लॉक एवं जिला स्तर पर इन अवलोकन प्रपत्रों का क्रमशः बीईईओ एवं डीईईओ द्वारा समीक्षा की जायेगी। इस समीक्षा के अनुसार ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आगामी कार्य योजना बनाई जावें।

3.6.9 ग्राम पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय की भूमिका

3.6.9.1 प्रत्येक पंचायत के उत्कृष्ट विद्यालय का विकास उस पंचायत के आदर्श विद्यालय के मार्ग दर्शन (Mentorship) में किया जाना है। आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट विद्यालय में योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार क्रियान्वयन करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

3.6.9.2 योजना के प्रभारी अधिकारी के रूप में आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान की निम्नलिखित भूमिका होगीः–

(i) प्रत्येक माह में कम से कम एक बार उत्कृष्ट विद्यालय का अवलोकन कर, अवलोकन प्रपत्र में रिर्पोट सर्व शिक्षा अभियान के पोर्टल पर अपलोड करना।

(ii) आवश्यकता अनुसार उत्कृष्ट विद्यालय को अकादमिक सहयोग देने हेतु आदर्श विद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना।

(iii) सीसीई / एसआईक्यूई (SIQE) की समीक्षात्मक बैठकों एवं कार्यशालाओं में सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आदर्श विद्यालय की मैन्टरशिप प्रदान करना।

(iv) पंचायत समिति स्तरीय समीक्षा बैठक में आदर्श विद्यालय के साथ–साथ उत्कृष्ट विद्यालय की कार्ययोजना की प्रगति को प्रस्तुत करना।

(v) आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान माह में एक बार शिक्षकों के कक्षा शिक्षण का अवलोकन कर वांछित सुधार हेतु उत्कृष्ट विद्यालय के संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन करना।

(vi) यदि आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान को महसूस होता हैं कि उनके सुझावों को नहीं माना जा रहा है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान/शिक्षक के विरूद्ध अनुंशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित नियंत्रण अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) को भिजवाने हेतु अधिकृत होगें।

(vii) आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा आदर्श विद्यालय एवं उत्कृष्ट विद्यालय के प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापकगण की माह में एक बैठक आदर्श विद्यालय में आयोजित की जाकर शिक्षण प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जावेगा।

(viii) आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायी जावेगी।

(ix) उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी दिशा–निर्देशो से दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा।

4. उत्कृष्ट विद्यालयों के विकास एवं संचालन में सामुदायिक सहभागिता एवं अन्य विभागों के साथ समन्वयन

4.1 सामुदायिक सहभागिता

4.1.1 उत्कृष्ट विद्यालयों के विकास में अभिभावकों, शाला प्रबन्धन समिति एवं आमजन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं अतः माह में कम से कम एक बार अभिभावक शिक्षक समिति (पीटीए)/शाला प्रबन्धन समिति/समुदाय/अभिभावकों के साथ बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाये। (शाला प्रबन्धन समिति का गठन एवं कार्य के संदर्भ में जारी परिपत्र **परिशिष्ट 12**)

4.1.2 उत्कृष्ट विद्यालयों को किसी दान दाता/भामाशाह/जिले में स्थित औद्योगिक इकाईयों संस्थाओं को गोद दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में पंचायत/जिला स्तर पर गठित निष्पादक/कार्यकारी समितियाँ कार्य करें। शाला प्रबन्धन समिति भी इस कार्य हेतु निरन्तर प्रयास करें।

4.1.3 सम्बन्धित ग्राम पंचायत की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायें जैसे–खेल मैदान की चार दीवारी तैयार करवाना, विद्यालय की साफ–सफाई एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करना, विद्यालय परिसर में वृक्षा रोपण करवाना, विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना इत्यादि।

4.2 अन्य विभागो के साथ समन्वयन

उत्कृष्ट विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न विभागों यथा पंचायतीराज एवं महिला बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायें।

5. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)/ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)/ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों हेतु प्रशासनिक, प्रबन्धन एवं शैक्षिक नेतृत्व के मुद्दो पर पाँच दिवसीय सघन प्रशिक्षण विशेषज्ञ संस्थाओं /सीमेट के माध्यम से किया जावेगा।

6. उत्कृष्ट विद्यालयों में सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों/शिक्षकों/भामाशाहो/दानदाताओं को प्रोत्साहन

6.1.1 प्रत्येक विद्यालय/ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी/15 अगस्त को उत्कृष्ट कार्य करने वालो शिक्षकों को सम्मानित किया जायेगा।

6.1.2 प्रत्येक पंचायत समिति में उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत कम से कम एक श्रेष्ठ कार्य करने वाले संस्था प्रधान को उपखण्ड स्तर पर उक्त दिवसों में सम्मानित किया जायेगा।

6.1.3 प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कम से कम 3 संस्था प्रधानों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जायेगा।

6.1.4 शिक्षा संकुल में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय दिवस समारोह (26 जनवरी/15 अगस्त) में प्रत्येक सम्भाग से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जायेगा।

6.1.5 श्रेष्ठ उत्कृष्ट विद्यालय/शिक्षकों/संस्था प्रधानों का चयन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये मानदण्डों (कार्ययोजना अनुसार किया जायेगा) के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् स्तर से अलग से दिशा निर्देश जारी किये जायेगें।

6.1.6 राज्य स्तर पर भामाशाह/दानदाताओं को सम्मानित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। जो **परिशिष्ट–13** पर संलग्न हैं। उसी आधार पर भामाशाहों/दानदाताओं का चयन किया जायेगा। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उन्हें सम्मानित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। इस हेतु निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जावेगें।